<u>न्यायाधीश-बालक न्यायालय/विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012) जनपद न्यायालय बलरामपुर (उ०प्र०)।</u>

(पीठासीन अधिकारी-राहुल सिंह-II (एच०जे०एस०)आई०डी० क्रमांक-यू०पी०-1851)

उ०प्र० राज्य	**<u>विशेष सत्र प्रकरण सं०-220/2026</u>**
<u>प्रति</u>	**<u>अपराध क्र०-136/2025</u>**
विधि विवादित किशोर 'L'	**<u>धारा-137(2), 87, 64(2)m बी०एन०एस०</u>**
	<u>एवं धारा-5L/6 पाक्सो एक्ट</u>
	<u>पुलिस थाना-हर्रैया</u>
	<u>जनपद-बलरामपुर (उ०प्र०)</u>

<u>प्रारम्भिक आदेश</u>

(आज दिनांक-29.06.2026 को पारित)

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री पवन कुमार शुक्ला उपस्थित
किशोर अपचारी की ओर से श्री मोहित कुमार श्रीवास्तव, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित

पुकारा गया। विधि विवादित किशोर 'L' राजकीय संप्रेक्षण गृह (गोण्डा) से तलब होकर न्यायालय उपस्थित। उसके विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित हैं।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने अभियोजन कथानक का वर्णन करते हुए विधि विवादित किशोर 'L' के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सिद्ध करने की प्रस्थापना किया।

आरोप विरचना के सम्बन्ध में विधि विवादित किशोर 'L' के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर **<u>विधि विवादित किशोर 'L' के विरूद्ध धारा-137(2), 87, 64(2)m बी०एन०एस० एवं धारा-5L/6 पाक्सो एक्ट</u>** के अधीन प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित होता है। अतः उसे तद्नुसार आरोपित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आरोप पृथक प्रपत्र पर तद्नुसार विरचित किया जाये।

पत्रावली **दिनांक 10.07.2026** को साक्ष्य हेतु पेश हो।

अभियोजन साक्षीगण उक्त नियत तिथि के लिए आहूत किये जायें।

विधि विवादित किशोर 'L' भी उक्त नियत तिथि को उपस्थित हो।

दिनांक-29.06.2026

(राहुल सिंह-II)
न्यायाधीश-बालक न्यायालय/
विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट)
बलरामपुर (उ०प्र०)

न्यायाधीश-बालक न्यायालय/विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012) जनपद न्यायालय बलरामपुर (उ०प्र०)।

(पीठासीन अधिकारी-राहुल सिंह-II (एच०जे०एस०)आई०डी० क्रमांक-यू०पी०-1851)

उ०प्र० राज्य	**विशेष सत्र प्रकरण सं०-220/2026**
प्रति	**अपराध क्र०-136/2025**
विधि विवादित किशोर 'L'	**धारा-137(2), 87, 64(2)m बी०एन०एस० एवं धारा-5L/6 पाक्सो एक्ट**
	पुलिस थाना-हर्रैया
	जनपद-बलरामपुर (उ०प्र०)

आरोप-विवरण

मैं, राहुल सिंह-II, विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 जनपद बलरामपुर (उ०प्र०) आप **विधि विवादित किशोर 'L' पुत्र अशोक गोस्वामी (जिसका नाम व पता आरोप पत्र में उल्लिखित है)** को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ किः-

1. यह कि आप विधि विवादित किशोर 'L' ने दिनांक-02.11.2025 को पूर्वाह्न 04.00 बजे घटनास्थल पुलिस थाना-हर्रैया, जनपद बलरामपुर से 09 किलो मीटर दूर दक्षिण दिशा में स्थित बहद ग्राम खैरहनिया में फरियादी की नाबालिग पुत्री/पीड़िता जोकि घटना के समय 14 वर्ष की एक बालिका थी, को विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यपहृत किया, इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध कारित किया जो कि **भारतीय न्याय संहिता की धारा-137(2)** के अधीन दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2. यह कि आप विधि विवादित किशोर 'L' ने उपरोक्त तिथि, समय एवं स्थान पर फरियादी की नाबालिग पुत्री/पीडिता उम्र 14 वर्ष को बहला-फुसलाकर इस आशय, ज्ञान व परिस्थिति में व्यपहृत किया कि वह विवाह करने के लिए अथवा अयुक्त सम्भोग करने के लिए विवश या विलुब्ध की जायेगी या उत्प्रेरित की जायेगी, इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध कारित किया जो कि **भारतीय न्याय संहिता की धारा-87** के अधीन दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3. यह कि आप विधि विवादित किशोर 'L' ने भिन्न-भिन्न तिथि, समय व स्थान पर फरियादी की नाबालिग पुत्री/पीड़िता जिसकी उम्र घटना के समय लगभग 14 वर्ष थी, उसके साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध जबरन बार-बार बलात्संग किया, इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध किया जो कि **भारतीय न्याय संहिता की धारा-64(2)m** के अधीन दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4. यह कि आप विधि विवादित किशोर 'L' ने भिन्न-भिन्न तिथि, समय व स्थान पर फरियादी की नाबालिग पुत्री/पीड़िता जिसकी उम्र घटना के समय लगभग 14 वर्ष थी, उसकी योनि में अपना लिंग किसी सीमा तक प्रवेश कराकर बार-बार गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया, इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध कारित किया जोकि **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-5L/6** के अधीन दण्डनीय अपराध है और जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अतएव एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि आपका परीक्षण उक्त आरोप के तहत इस न्यायालय द्वारा किया जावे।

दिनांक-29.06.2026

(राहुल सिंह-II)
न्यायाधीश-बालक न्यायालय/
विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट)
बलरामपुर (उ०प्र०)

विरचित किया गया आरोप विधि विवादित किशोर 'L' को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया जिससे उसने इन्कार किया तथा विचारण किए जाने की मांग की।

दिनांक-29.06.2026

(राहुल सिंह-II)
न्यायाधीश-बालक न्यायालय/
विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट)
बलरामपुर (उ०प्र०)

Digitally signed by RAHUL SINGH
Date: 2026.06.29 17:34:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court